

राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 245/XLI-1/2016-61/09 देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016 एवं शासनादेश सं० 744/XLI-1/2016-61/09 दिनांक 14 जून 2017 के द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	शुल्क की मर्दे	शुल्क दरें ₹ में	क्र० सं०	शुल्क की मर्दे	शुल्क दरें ₹ में
1	शिक्षण शुल्क	8000.00		15 छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
2	छात्र निधि शुल्क	5000.00		16 एन०सी०सी० शुल्क	100.00
1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00		17 पुस्तकालय काशन मनी	100.00
2	परिचय पत्र शुल्क	50.00	3	छात्रावास शुल्क	4000.00
3	क्रीड़ा शुल्क	250.00		18 छात्रावास शुल्क	600.00
4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00		19 छात्रावास काशन मनी	200.00
5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00		20 छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
6	मैग्जीन शुल्क	100.00		21 छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00		22 बर्तन चन्दा	100.00
		1000.00		बोर्ड परीक्षा शुल्क	राजकीय-500.
8	विद्युत शुल्क			मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	0 निजी क्षेत्र-1000.0
9	कॉसन मनी संस्थागत (refundable)	100.00		परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	200/-
10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00		बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00		स्कूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	500.00		अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20.00
13	विकास/भवन विकास शुल्क	500.00		(परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	30.00
14	पुस्तकालय शुल्क	100.00		पुर्नमूल्यांकन	2000/- प्रति विषय

नोट: प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र-छात्रा का जीप-द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पॉलीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण/छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।